



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 माघ, 1942 (श०)

संख्या-134 राँची, गुरुवार,

18 फरवरी, 2021 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

12 फरवरी, 2021

विषय: राँची शहर की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना अंतर्गत बायोडिग्रेडेबल नगरीय ठोस अपशिष्ट (BMSW) के प्रसंस्करण (Processing) का कार्य हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम – 235 को शिथिल करते हुए वित्त नियमावली के नियम 245 एवं लोक निर्माण संहिता के नियम 158 के तहत M/s GAIL (India) Limited से मनोनयन के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

ज्ञापांक- 2/न०वि०/ UIG (SWM)/ 07/13/151-- नगरपालिका अधिनियम एवं 74वें संविधान संशोधन के आलोक में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार का संवैधानिक दायित्व है। इस क्रम में शहरी क्षेत्र की नियमित साफ़-सफाई कराना एक महत्वपूर्ण कार्य है।

2. भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को एक प्रमुख घटक माना गया है। इस मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थापन करते हुये पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य है।
3. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal) द्वारा भी Waste Management Rules 2016 के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक द्वारा व्यवस्थापन किए जाने हेतु बल दिया जा रहा है एवं लगातार समीक्षा भी की जा रही है।

4. उक्त के क्रम में राँची शहर में भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत की गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में राँची नगर निगम के पत्रांक 22(SWM) दिनांक 04.02.2020 (Annexure-A) द्वारा निम्नांकित तथ्यों से अवगत कराया गया है :-

- i. पूर्व में राँची नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन हेतु Integrated रूप में कार्य करने हेतु Agency का चयन खुले निविदा के माध्यम से किया गया।
- ii. पूर्व में शहर में दो बार Integrated Model of Solid waste Management (Door to Door collection, secondary transportation, processing & disposal of waste एवं sweeping) के कार्यान्वयन के दौरान काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा एवं अंततः दोनों बार Non-performance के कारण सम्बंधित Agency को terminate करना पड़ा।
- iii. पुनः उक्त वस्तुस्थिति को देखते हुए व्यापक विचार- विमर्श के पश्चात राँची शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना को segment wise अर्थात् Door to Door primary collection, secondary transportation, processing & disposal of waste एवं road sweeping का कार्य अलग-अलग निविदा द्वारा कराने का निर्णय लिया गया एवं इस क्रम में sweeping तथा Door to Door primary collection एवं secondary transportation का कार्य आवंटित कर दिया गया है।
- iv. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना में Processing & Disposal of Solid waste Management एक अति महत्वपूर्ण अंग है। उक्त कार्य हेतु राँची नगर निगम द्वारा पिछले दिनों दिनांक 11.09.2019 एवं 24.10.2019 को 02 बार निविदा आमन्त्रित किया गया था। उक्त दोनों निविदा में single tender प्राप्त हुआ जो नियमानुकूल नहीं होने के कारण निस्तारित नहीं किया जा सका। इसी दौरान राँची नगर निगम को M/s GAIL (India) Limited से Zero tipping fee पर Biodegradable Municipal Solid Waste (BMSW) के प्रसंस्करण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

5. उल्लेखनीय है कि M/s GAIL (India) Limited, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक महारत्न सार्वजनिक उपक्रम है जो मूलतः देश-विदेश में पाइप लाइन के द्वारा प्राकृतिक गैस के विपणन एवं वितरण का कार्य करती है। M/s GAIL (India) Limited द्वारा उर्जा गंगा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत राँची सहित कई शहरों में City Gas Distribution Network स्थापित किया जा रहा है। M/s GAIL (India) Limited द्वारा राँची में 5 ton per day (TPD) क्षमता वाले Compressed Bio Gas (CBG) plant अधिष्ठापित करने की योजना बनायी गयी है। जहाँ BMSW के साथ कई तरह के feed stock से CBG पैदा की जाएगी, जिसे automotive fuel के रूप में राँची अवस्थित Local Gas Distribution Network से बेचने की योजना है।

6. M/s GAIL (India) Limited द्वारा राँची नगर निगम क्षेत्र में BMSW के प्रसंस्करण हेतु प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार राँची नगर निगम एवं M/s GAIL (India) Limited के बीच 22 वर्षों के लिए एकरारनामा किया जायेगा। उक्त एकरारनामा के अनुसार M/s GAIL (India) Limited द्वारा कुल 300 MTPD BMSW के प्रसंस्करण हेतु दो चरण में प्लांट का अधिष्ठापन किया जाएगा। प्रथम चरण में 150 TPD BMSW के processing हेतु प्लांट लगाया जाएगा तत्पश्चात BMSW के उपलब्धता एवं Quality के आधार पर 150 MTPD का प्लांट लगाया जाएगा।

7. M/s GAIL (India) Limited द्वारा राँची नगर निगम BMSW के प्रसंस्करण के लिए प्रस्ताव दिया गया है, जिसके तहत उनके द्वारा निम्न कार्य किया जाएगा: -

- i. निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर M/s GAIL (India) Limited द्वारा BMSW के प्रसंस्करण हेतु 300 TPD का plant का अधिष्ठापन दो चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण में 150TPD का जो 150 TPD $\pm 10\%$ अपशिष्ट का प्रसंस्करण करने में सक्षम होगा।

- ii. प्लांट लगाने से सम्बन्धित सभी आवश्यक NOC, Environmental Clearance (EC) आदि M/s GAIL (India) Limited द्वारा लिया जाएगा जिसमें राँची नगर निगम उसकी सहायता करेगा।
- iii. एकरारनामा की अवधि (22 वर्ष) की समाप्ति के पश्चात् M/s GAIL (India) Limited द्वारा प्लांट good running condition में निगम को सौंपेगा।
- iv. निगम द्वारा दी जाने वाली भूमि (8 एकड़) का उपयोग सिर्फ अपशिष्ट के प्रसंस्करण से सम्बन्धित प्लांट लगाने के लिए किया जाएगा। उक्त भूमि का उपयोग किसी भी परिस्थिति में अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।
- v. Solid Waste Management Rules – 2016, झारखण्ड राज्य प्रदूषण बोर्ड, केंद्र तथा राज्य सरकार के तत्सम्बन्धी अथवा संशोधित सभी नियमों का पालन करेगा एवं Environmental Monitoring प्लान बनायेगा।
- vi. प्रसंस्करण से उत्पन्न गैस एवं Manure को बेचने का अधिकार M/s GAIL (India) Ltd. को होगा एवं उसके लिए विपणन के लिये दो Retail Outlet बनाया जायेगा।
- vii. Weighbridge लगाना, संचालन एवं रख-रखाव किया जायेगा।
- viii. M/s GAIL (India) Limited द्वारा CPCB/JSPCB के सभी मानकों जो Solid, liquid एवं gaseous discharge के लिए दिए गए हैं उनका अनुपालन करेगा।
- ix. Concession Agreement से सम्बन्धित सभी करों का भुगतान करेगा।
- x. प्लांट के औसत 90% उपयोगिता के उपरांत प्रसंस्करण से होने वाले वार्षिक लाभ का 10% (Inclusive of applicable taxes and duties), BMSW के एवज में निगम को देगा।

8. राँची नगर निगम द्वारा निम्न कार्य किया जाना है: -

- i. शहर का BMSW से Compressed Bio Gas (CBG) बनाने हेतु कम से कम 22 वर्षों के लिए M/s GAIL (India) Limited के साथ एकरारनामा करेगा।
- ii. 300 MTPD BMSW प्रसंस्करण plant अधिष्ठापन हेतु Standard Lease Rent Value पर 8 एकड़ भूमि M/s GAIL (India) Limited को उपलब्ध करायेगा।
- iii. CBG, Bio Manure इत्यादि के Sale हेतु निगम M/s GAIL (India) Limited को Retail Outlet बनाने के लिए 60m x 60m के दो भूखंड एक शहर के अन्दर एवं एक बाहर @ Rs. 1/- per sq.m./प्रति वर्ष के Rent पर उपलब्ध करायेगा।
- iv. प्लांट के फाटक (Gate) तक का infrastructure बनायेगा एवं maintain करेगा।
- v. प्रसंस्करण हेतु 150 MTPD BMSW प्रति दिन प्लांट को उपलब्ध कराएगा।
- vi. प्लांट चलाने हेतु आवश्यक EC, NOC आदि लेने में M/s GAIL (India) Limited को मदद करेगा।
- vii. Inert अपशिष्ट का प्रबंधन/ निपटान करेगा।
- viii. 150 MTPD से अधिक BMSW होने की स्थिति में इस का निपटान करेगा।

9. अन्य शर्तें:-

किसी कारणवश अगर M/s GAIL (India) Limited द्वारा प्लांट नहीं लगाया जा सकेगा तो उक्त परिस्थिति में निगम द्वारा प्लांट लगाने के लिए दी गई भूमि स्वतः निगम को वापस हो जायेगी।

10. योजना की वित्तीय व्यवस्था निम्नवत होगी: -

- i. निगम द्वारा उपलब्ध करायी गई भूमि पर M/s GAIL (India) Limited द्वारा Standard Lease Rent Value (एकरारनामा के अनुसार) प्रभावी तिथि से एक माह के अन्दर पूरे वर्ष का Rent, RMC को देगा।

- ii. प्लांट अधिष्ठापन एवं Operation हेतु आवश्यक राशि का वहन M/s GAIL (India) Limited द्वारा किया जाएगा |
 - iii. M/s GAIL (India) Limited को प्रसंस्करण से उत्पन्न गैस एवं अन्य बाई प्रोडक्ट्स को बेचने का अधिकार होगा जिससे M/s GAIL (India) Limited को मुनाफा होगा |
 - iv. राँची नगर निगम एवं M/s GAIL (India) Limited अपने सबसे अच्छे प्रयासों (Best Practices) का उपयोग कार्बन क्रेडिट के लिए संयंत्र को पंजीकृत करने के लिए करेंगे | Clean Development Mechanism (CDM) से 100% Carbon Credit से प्राप्त आय का एकाधिकार राँची नगर निगम को होगा |
11. उक्त वित्तीय व्यवस्था से राँची नगर निगम को निम्न लाभ होगा:-
- i. राँची नगर निगम द्वारा CAPEX मद में किये जाने वाला व्यय रु० 10.00 करोड़ का बोझ कम होगा |
 - ii. राँची नगर निगम को अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु Tipping Fee (अनुमानित रु० 400/MT) नहीं देना होगा जिससे लगभग रु० 2.19 करोड़ प्रति वर्ष एवं कुल 20 वर्षों में रु० 43.8 करोड़ का निगम पर बोझ कम होगा |
 - iii. अगर M/s GAIL (India) Limited द्वारा दूसरा प्लांट लगाने का निर्णय लिया जाता है तो उस परिस्थिति में 22 वर्षों में अनुमानित कुल रु० 81.03 करोड़ का निगम पर बोझ कम होगा |
 - iv. अपशिष्ट के प्रसंस्करण से प्राप्त Carbon Credit के विक्रय से निगम को अतिरिक्त वित्तीय लाभ मिलने की सम्भावना है |
 - v. निगम को Standard Lease Agreement के तहत भूमि के lease rent से वित्तीय लाभ होगा |
12. कंडिका 1 से 11 के आलोक में झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम - 235 को शिथिल करते हुए वित्त नियमावली के नियम 245 एवं लोक निर्माण संहिता के नियम 158 के तहत मनोनयन के आधार पर राँची ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना अंतर्गत बायोडिग्रेडेबल नगरीय ठोस अपशिष्ट (BMSW) के प्रसंस्करण (Processing) का कार्य "M/s GAIL (India) Limited" को सौंपने के सम्बन्ध में |
13. उपरोक्त कंडिका-12 अंतर्गत उल्लेखित प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा परिषद् के दिनांक 03.02.2021 की बैठक में मद संख्या 42 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव
